



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।
(जिला राजस्व शाखा)

ac-giridih@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक 888 / रा0 गिरिडीह, दिनांक 30 / 05 / 2024

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
सरिया।

विषय :-

बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी रद्द संबंधी अभिलेखों का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि सरकार के मुख्य सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2074/रा0 राँची, दिनांक 13.05.2016 एवं सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-6144/रा0 दिनांक-21.12.2017 के अनुरूप नियमानुसार जमाबंदी रद्द करने संबंधी स्पष्ट अनुशंसा नहीं रहने के कारण मूल अभिलेख वापस की जाती है:-

क्र0	अभिलेख सं0 एवं वर्ष	पक्षकार	पता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
01	177 / 2018-19	चौधरी मोदी, पिता-खागो मोदी	साकिन बड़की सरिया	
02	183 / 2018-19	रुकमणी देवी पति- बैजनाथ मोदी	साकिन बड़की सरिया	
03	184 / 2018-19	भातु राम, पिता-सेवक राम	साकिन बड़की सरिया	
04	187 / 2018-19	बैला राम चौधरी, पिता-धीरेन्द्र नाथ चौधरी	साकिन बड़की सरिया	
05	159 / 2018-19	राजेश मुखर्जी, सोमेन मुखर्जी एवं अमृत मुखर्जी	साकिन बड़की सरिया	
06	158 / 2018-19	हृदय देवी, बिन्दु देवी पिता- गुरुचरण राम	साकिन बड़की सरिया	
07	160 / 2018-19	मंगर राणा, पिता- जुगल राणा	साकिन बड़की सरिया	
08	167 / 2018-19	अंजना देवी, पति- मनोज मोदी	साकिन बड़की सरिया	
09	161 / 2018-19	उर्मिला देवी	साकिन बड़की सरिया	
10	168 / 2018-19	विजय मोदी, पिता- भीमसेन मोदी	साकिन बड़की सरिया	

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वामाजन

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

30-5-24

ज्ञापक 888 / रा0 गिरिडीह, दिनांक 30 / 05 / 2024

प्रतिलिपि:-

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

30-5-24